

28  $\frac{5}{18}$

पत्रावली राजस्व लोक अदालत कम्प हासफिया  
 में रखने से आज पेश हुई। पत्रावली का  
 अध्ययन किया। पत्रावली पिछले 6 माह से  
 भी अधिक पुरानी हो चुकी है। जबकि प्रार्थना  
 पत्र 212 में राजस्व लोक अदालत अभिमान 2018  
 में जारी परिपत्र एवं निर्देश क्रमांक ग्राम/निरी/  
 विधि/98-99/प. 12 (10) 688-970 दिनांक 16.2.99  
 के बिन्दु संख्या 4 कीपालना में प्रा.पत्र द्वारा 212  
 का 6 माह में निर्गित किये जाने के आदेशों के  
 अतुल्य उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर कोर्ट  
 कम्प एवं राजस्व लोक अदालत की भावना से  
 इस प्रकार निर्गित किया जाया है। प्रकरण में  
 दिनांक 5.9.17 को जारी स्थगन आदेश में राजस्व  
 रिकार्ड एवं मांके की प्रभाविति बमोमे रखे हेतु  
 मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थना पत्र फनफम  
 किया जाया है। पत्रावली निर्गित लेकर दफतर  
 दाखिल है।

21/11/2017

डा.प.ता  
 अध्यक्ष  
 तीठ-डीन अधिकारी  
 एवं उपसहय अधिकारी  
 दीपक